

(5)

- 06-17

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पल
अंशित द्वितीय पल अनुपस्थित ।
उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
पूर्ण है इसी से अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः वाद
में अभिलेख की कारवाही बन्द की
जाती है।

f
1916/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुधू (सँची)